

पत्नी के साथ यौनाचार, बलात्कार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि फौजदारी कानून में जबरन वैवाहिक यौन संबंध बलात्कार के अपराध में शामिल है या नहीं, इस मुद्दे पर वस्तुतः रूप से बहस हो चुकी है और इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।

बलात्कार को परभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की अपवाद वाली उपधारा में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी, बशर्ते पत्नी 15 वर्ष से कम की नहीं हो, के साथ स्थापित यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा।

क्यों है विवाद ?

- कुछ लोगों का मानना है कि धारा 375 की अपवाद वाली उपधारा को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बराबरी और गरमिमय जीवन के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। इस कानून में संशोधन करने के बाद ऐसे मामलों में महिला और दोषी व्यक्ति के रश्तों की परवाह किये बिना 'सहमति' को तवज्जो देनी चाहिये।
- जबकि, कुछ कानूनी वद्वानों की राय है कि घरेलू हिंसा या अलग रह रहे दंपतियों के मामलों को छोड़कर कानून को किसी की भी वैवाहिक नजिता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
- हालाँकि, आईपीसी में धारा 498ए और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की व्यवस्था के बाद क्या नजि है और क्या सार्वजनिक, इसमें अंतर करना मुश्किल हो गया है।

अहम है जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट

- वदिति हो कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने को लेकर हुई बहस में जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे स्वर्गीय जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में बनी इस समिति में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और पूर्व सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम सदस्य थे।
- समिति की अनुशंसा थी कि वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी से हटा देना चाहिये, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार को माफी या छूट देना ववाह के साथ जुड़ी उस रूढ़िवादी मान्यता को पोषित करता है, जिसके अनुसार बीवी को पति की ज़ागीर या संपत्ति समझा जाता है।
- मार्च 2013 में गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की ओर से आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 पर 167वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। तब समिति ने जस्टिस वर्मा समिति की ओर से दी गई सफ़ारिशों को अस्वीकार कर दिया था।
- आईपीसी की धारा 375 पर चर्चा करते हुए समिति के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि ववाह के समय दी गई सहमति को हमेशा के लिये नहीं माना जा सकता और अगर पत्नियों को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे संबंधों के बीच वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा उठा सकें।
- हालाँकि कुछ सदस्यों का ये भी मानना था कि इसे अपराध का दर्जा देने से ववाह की संस्था खतरे में पड़ सकती है।

क्या होना चाहिये ?

- वदिति हो कि जस्टिस वर्मा कमेटी का कहना था कि हमारा दृष्टिकोण उस अवधारणा से प्रेरित है, जिसके अनुसार एक बलात्कारी सरिफ बलात्कारी होता है, भले ही उसका पीड़ित से कोई भी संबंध हो।
- संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के लिये कन्वेंशन (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women -CEDAW) के भी अंतर्गत कहा गया था; "भारत को चाहिये कि वह अपने दंड संहिता में बलात्कार की परभाषा का दायरा बढ़ाए, ताकि महिलाओं द्वारा भोगे जा रहे यौन उत्पीड़न की व्यथा को समझकर उसका कोई समाधान नकाला जा सके"।
- इस कन्वेंशन पर सहमति जिताने के बावजूद भारत ने इस संबंध में आपेक्षित सुधार नहीं किये हैं।
- दरअसल, हनिदू धर्म में ववाह को एक कॉन्ट्रैक्ट न मानकर एक संस्कार माना गया है और 375 की अपवाद वाली उपधारा को हटाने से हो सकता है कि यह व्यवस्था प्रभावित हो, लेकिन महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।
- एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में केवल हनिदू धर्म के ही लोग नहीं रहते बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमि आबादी भी नविकास करती है, जो शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मानती है, तो क्या मुसलमानों और हनिदुओं के लिये अलग-अलग प्रावधान होना चाहिये?
- कूल मलाकर कहें तो यह एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिये न्यायपालिका और वधायिका दोनों को सम्मलित प्रयास करने होंगे।

